

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1989]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2016/श्रावण 18, 1938

No. 1989]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2016/SRAVANA 18, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

का.आ. 2664(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2076(अ) दिनांक 9 जून, 2016, भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 13 जून, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित शुद्धियाँ करती हैं।

अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 2 पर सर्वे/ब्लोक नं. 1571/ 2 का क्षेत्रफल 00-00-40 को सर्वे/ब्लोक नं. 1586/2 से पहले पढा जायें।

पृष्ठ संख्या 4 पर सर्वे/ब्लोक नं. 554 का क्षेत्रफल 00-11-01 को सर्वे/ब्लोक नं. 555 से पहले पढा जायें।

पृष्ठ संख्या 5 पर सर्वे/ब्लोक नं. 903/3 से पहले सर्वे/ब्लोक नं. 914 का क्षेत्रफल 00-06-95 को पढा जायें।

पृष्ठ संख्या 17 पर सर्वे/ब्लोक नं. 914 का क्षेत्रफल 00-06-95 पढा जायें।

पृष्ठ संख्या 30 पर लाइन नं. 30 पर सरकारी रास्ता / ड्रेन को विलोपित किया जाता है तथा उसके स्थान पर सरकारी रास्ता पढा जायें।

[फा. सं. आर-31015/9/2016-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 5th August, 2016

S.O. 2664(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following Corrigendum in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas published vide S.O. No. 2076(E), dated 9th June, 2016 published in the Extraordinary Gazette of India dated 13th June, 2016 as under namely,

In the Said Notification at page No. 2 The Survey /Block No. 1571/2 and its area 00-00-40 should be added and read before The Survey/Block No 1586/2 in Hindi.

At Page No. 4, The Survey/Block No. 554 and its area 00-11-01 should be read before survey/Block No. 555.

At Page No. 5, The Survey/Block No. 914 and its area 00-06-95 should be read after survey/Block No. 903/3.

At Page No. 17, The area of Survey/Block No. 914 should be read as 00-06-95.

At Page No. 18 line No. 30 the word G/L Cart Trcak / Drain Shall be deleted at it Should be read as Cart Track.

[F. No. R-31015 / 9 /2016-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.